(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, रायपुर को नारायणपुर वनमंडल के ग्राम छोटे डोंगर स्थित वन कक्ष क्रमांक 252, 267, 268, 269, वर्तमान में 2185, 2184, 2180, 2179 में कुल रकबा 57.00 हे. वन भूमि खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा एवं कक्ष क्रमांक पी 2217, पी 2226, 2182, 2181, 2180, 2184, 2183 एवं 2188 के 9.020 हे. पहुंच मार्ग निर्माण के लिए कुल 66.020 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव पर निम्न शर्तों के अधीन राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है :– i) खदान के कर्मचारियों एवं मजदूरों हेतु गैस सप्लाई की जाये ताकि जलाऊ हेतु वनों पर दबाव न पड़े। ii) इस खदान में कार्य करने वाले कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन का निर्माण सुनिश्चित किया जाये ताकि अस्थाई निर्माण हेतु वनों पर दबाव न पड़े। iii) सेफ्टी जोन क्षेत्र में 6 फीट ऊंची रिकायल बारबेड वायर फैसिंग की जानी होगी जिससे वन क्षेत्र की सुरक्षा हो सके। iv) वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु उपयुक्त वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार की जाए जिसके प्रावधानों का क्रियान्वयन आवेदक संस्थान के व्यय पर किया जाए।

Signature

Date : 20 -05-2024

Place : Raipur

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Additional Chief Secretary,

C.G. Govt.,

Forest & Climate Change Department

(Manoj Kumar Pingua)
Additional Chief Secretary
Government of Chhattisgarh
Deptt. of Forest & Climate Change
Mantralaya, Nawa Raipur

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–18/2020/10–2

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22/05/2024

प्रति,

ए.आई.जी. (एफ.सी.)
भारत सरकार,पर्यावरण वन एवं
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन,जोर बाग, अलीगंज रोड़
नई दिल्ली –110003।

विषय :– Diversion of forest land for non-purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Chhotedonager Iron Ore Mines M/s Shri Bajrang Power & Ispat Ltd. have been granted with Mining lease for Iron ore over an Area–66.020 ha. regarding.

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–230/1574, दिनांक 27.08.2020 तथा पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–237/1785, दिनांक 07.10.2020, पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–230/2048, दिनांक 17.11.2020 एवं पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–237/116, दिनांक 14.01.2021 पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–237/1156,दि. 04.06.2021 पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–230/819, दिनांक 31.03.2023 एवं पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/ खनिज/331–230/1277, दिनांक 26.05.2023 तथा पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–230/1876, दिनांक 04.08.2023 तथा पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–230/1105, दिनांक 02.05.2024 एवं पत्र पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–230/1156, दिनांक 13.05.2024।

––00––

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** आवेदनकर्ता श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, रायपुर द्वारा नारायणपुर वनमंडल के ग्राम छोटे डोंगर स्थित वन नारंगी कक्ष क्रमांक P-2217A, P2226A रकबा 4.150 एवं कक्ष क्रमांक आर.एफ 2185, 2184, 2180, 2179, 2182, 2181, 2180 एवं 2188 के 61.870 में कुल रकबा 66.020 हे. वन भूमि लौह अयस्क का खनिपट्टा एवं पहुंच मार्ग निर्माण के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत फार्म A भाग 1 तथा आफलाईन विवरण देते हुए मांग रखी गई है। आवेदित वन भूमि में कार्य का वर्गीकरण निम्नानुसार है – **लौह अयस्क उत्खनन**: 57.00 ; **पहुंच मार्ग निर्माण**: 9.020 हे. ; **योग रकबा**: 66.020 हे.	1
2	**प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –** वनमंडलाधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक **FP/CG/MIN/11479/2015** आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि कार्यालयीन पत्र दिनांक 25.10.2016 के आधार पर की जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क 6000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क 1,75,000/– जमा कराये गये हैं।	2 से 3

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
3	**वन क्षेत्र का विवरण –** खनि पट्टा एवं पहुंच मार्ग के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित 66.020 हे. वन भूमि का विवरण दर्शित है जो आवेदक संस्थान तथा वन मंडलाधिकारी नारायणपुर द्वारा हस्ताक्षरित है।	4 से 5
4	**गैर वनक्षेत्र का विवरण –** प्रस्ताव में गैर भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।	6
5	**व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर–** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 66.020 हे. वन भूमि का सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट 1:50000 स्केल पर दिखाया गया है। मानचित्र वन मंडलाधिकारी नारायणपुर द्वारा हस्ताक्षरित है।	7 से 8
6	**वनक्षेत्र का इण्डेक्स मैप –** वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है। जो वनमंडलाधिकारी, नारायणपुर वनमंडल द्वारा हस्ताक्षरित है।	9 से 10
7	**प्रपत्र –4 में प्रस्ताव –** प्रपत्र– 4 में परियोजना की कुल लागत रू. 1200 लाख (पृ. क्र–11) है। वनमंडलाधिकारी नारायणपुर ने प्रस्ताव को स्वीकृति योग्य माना है तथा उल्लेख किया गया है कि दूसरे सभी विकल्पो का परीक्षण कर लिया गया है और आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।	11 से 16
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –** यूजर एजेंसी द्वारा परियोजना की विस्तृत टीप दी गई है। आवेदित क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ खदान संचालित होने पर खनन कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा तथा आश्रित ग्रामों एवं आस–पास के क्षेत्र में लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगी।	17 से 26
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –** आवेदित वन क्षेत्र के एवज में बलरामपुर जिले के ग्राम बाटा, टाटीझरिया, सोनपुर एवं डूमरखोली में समतुल्य निजी भूमि रकबा 66.02 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	27 से 28
10	**न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –** **खनि पट्टा एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु** प्रस्तावित क्षेत्र रकबा 66.02 हे. का मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है, इस आशय का वनमंडलाधिकारी, नारायणपुर का वचन पत्र संलग्न है। तीन विकल्पों का परीक्षण चेक लिस्ट–43 पर है।	29 से 30
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र –** आवेदक संस्थान के कथन अनुसार भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पूर्वानुमोदन प्राप्त हुआ है। उक्त क्षेत्र का टी.ओ.आर प्राप्त होने के उपरांत EIA रिर्पोट प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण स्वीकृति उपरांत विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जायेगी।	31 से 32

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
12	**वृक्ष विदोहन विवरण –** आवेदित क्षेत्र में खनि पट्टा हेतु प्रस्ताव 57.00 हे. में 19095 नग एवं पहुंच मार्ग हेतु प्रस्तावित रकबा 9.020 हे. में 3265 नग; कुल 22,360 नग विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।	33 से 58
13	**कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस –** कास्ट बेनिफिट एनालिसिस संलग्न है। जो वनमंडलाधिकारी, नारायणपुर वनमंडल द्वारा सत्यापित है।	59 से 63
14	**चयनित गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा कि नकल मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तातंरण आदेश) –** व्यपवर्तन हेतु प्राप्त प्रस्ताव में वन भूमि के अतिरिक्त गैर वन क्षेत्र / निजी भूमि एवं राजस्व क्षेत्र की मांग नहीं की गई है।	64
15	**गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –** प्रस्तावित क्षतिपूर्ति परियोजना निजी भूमि में प्रस्तावित होने के कारण गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शे की आवश्यकता नहीं है ऐसा लेख किया गया है।	65
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –** स्थल विशेष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आवेदित वन क्षेत्र के एवज में बलरामपुर जिले के ग्राम बाटा, टाटीझरिया, सोनपुर एवं डूमरखोली में समतुल्य निजी भूमि रकबा 66.02 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना संलग्न है।	67 से 130
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है। यह प्रमाण पत्र वनमंडलाधिकारी बलरामपुर द्वारा दिनांक 30.08.2019 के आधार पर जारी किये गये है।	131 से 134
18	**अधिनियम उल्लघंन अंतर्गत कार्यो का विवरण –** वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नही किया गया है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी नारायणपुर वन मंडल का प्रतिवेदन संलग्न है।	135
19	**अधिनियम उल्लघंन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण** – लागू नहीं।	136
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्व प्रस्तावित कार्यवाही –** लागू नहीं।	133
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र** – क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु निजी भूमि का चयन किया गया है वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 01.12.2017 से जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।	137
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –** कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान संलग्न है। इस आशय का वनमंडलाधिकारी, नारायणपुर एवं आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न हैं।	142 से 147

क्रमश : 4

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ
23	**रिक्लेमेशन प्लान –** संलग्न हैं।	148 से 153
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –** भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नागपुर के पत्र क्रमांक/NPRFF/MPLN01159/NGP दिनांक 21.03.2016 (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक–154ए.) से अनुमोदित माईनिग प्लान संलग्न हैं ।	154
25	**व्यवस्थापन प्लान –** प्रस्तावित क्षेत्र में किसी भी परिवार का पुर्नवास नहीं हो रहा है। अतएव व्यवस्थान प्लान की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान एवं वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर वनमंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।	155
26	**वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पदनाम सील एवं दिनांक सहित(प्रपत्र I से IV तक)–** वनमंडलाधिकारी, नारायणपुर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.12.2019 तथा इसके आधार पर भरा गया भाग–2 संलग्न है। वनो का घनत्व 0.5 से 0.6 बताया गया है। मुख्य वन संरक्षक कांकेर द्वारा वनमंडलाधिकारी के प्रतिवेदन के ऊपर स्वयं के स्थल निरीक्षण दिनांक 04.07.2020 के उपरांत वनमंडलाधिकारी नारायणपुर के सुझावों से सहमति दर्शित की गई है।	156 से 167
27	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण –** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व स्थल नही है वनमंडलाधिकारी, नारायणपुर एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	168
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव हेतु चयनित वनभूमि के समीप स्थित ग्राम पंचायत, धनौरा एवं कोडोली का अनापत्ति प्रमाण संलग्न है।	169 से 178
29	**जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे. में) –** प्रस्ताव में जिले की कुल वनभूमि 114868.640 हे. का विवरण संलग्न है।	180
30	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले की स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –** वन संरक्षण अधिनियम 1980 स्वीकृत 06 प्रकरणों में कुल 431.707 हे. वन भूमि प्रभावित है।	181
31	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में –** वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत 02 प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वनभूमि 415.400 हे. दर्शित है।	182
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उधान वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी –** आवेदित वनभूमि 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उधान वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति नही है वनमंडलाधिकारी, नारायणपुर वनमंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।	183

क्रमशः 5

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शें में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन (केवल खनन प्रकरण में)–** 15 कि.मी. परिधि के नक्शें में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन कर मानचित्र संलग्न है।	184 से 185
34	**वन अधिकार मान्यता विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की अनुविभागीय अधिकारी, नारायणपुर के दिनांक 29.06.2016 के कार्यवाही विवरण के आधार पर कलेक्टर, जिला नारायणपुर द्वारा दिनांक 25.06.2020 का ग्राम धनोरा एवं कोडोली ग्राम पंचायत के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।	186 से 195
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –** प्रस्ताव में व्यपवर्तन प्रकरण में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं होने के कारण कलेक्टर के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यक नहीं है।	196
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र** – आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	197 से 198
37	**Clearance under FC Act, 1980 Deposition of funds with the AD-hoc CAMPA : Remittances of precede 2nd stage Clearance –** आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	199
38	**A detailed note on soil productivity or the lack of it –** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 66.020 हे. वन भूमि में कुल 1124 वृक्ष है। इस क्षेत्र की मिट्टी रेतीली दुमट/चिकनी/दुमट/कंकरीली/लाल लेटेराईट/जलोढ़ मिट्टी है, जिसमें ह्यूमन लगभग सामान्य है तथा पानी को रोकने की शक्ति भी सामान्य है इसलिए मृदा, वृक्षों/ वनस्पत्तियों के लिए उपयुक्त है। इस आशय का वनमंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।	200
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में व्यपवर्तन से पूर्व किसी भी प्रकार की भूमि में किसी भी प्रकार की खनन कार्य नही किया गया है। वनमंडलाधिकारी, नारायणपुर एवं आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।	201
40	**Division of large area (more then 500 ha) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the forest (conservation)Act 1980 Stipulation of additipna condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute) –** आवेदित क्षेत्र 500.00 हे. से कम है अतः वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता नही है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है ।	202
41	**पंजयीन कमांक –** चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक – 2 अनुसार दर्शित है।	203 से 204

क्रमशः : 6

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत –** प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ द्वारा उनके आदेश दिनांक 21.10.2020 द्वारा 185 लाख की वन्यप्राणी संरक्षण योजना स्वीकृत की गई है, जिसकी एक प्रति संलग्न है।	–
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा ग्रीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण –** संलग्न है।	**207A से 207F**
44	**प्रस्ताव में अन्य (Misc) जानकारी का विवरण –**	**208 से 209**

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्नः – प्रस्ताव 1 प्रति में।

22/05/24

(मयंक पाण्डेय)
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5–18/2020/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22/05/2024

प्रतिलिपिः–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़,।

2.मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त, कांकेर छत्तीसगढ़।

3.वनमंडलाधिकारी, नारायणपुर, वनमंडल छत्तीसगढ़ ।

4.आवेदनकर्ता, श्री बजरंग इस्पात पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम बोरझरा, उरला–गुमा रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

22/05/24

संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग